न्यायालय लालसोट, दौसा

सहायक कलक्टर

पीठासीन अधिकारी

मोहरसिंह मीना (आरएएस)

सहायक कलक्टर लालसोट

मुकदमा नम्बर
2015/00130

89/2017, 2021/213

दर्ज दिनांक :–

22. 10. 2019

श्रीनारायण व अन्य बनाम जगदीश व अन्य

उपस्थित :– श्री राकेश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री ब्रजमोहन गौड – अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र प्रारंभिक आपत्ति
(अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 9 व 151 सीपीसी)

:: निर्णय :: दिनांक 04-11-2022

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपपुरा तहसील लालसोट स्थित आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 65 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 आबादी, खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा बाबत विचाराधीन उनवानी प्रकरण श्रीनारायण बनाम जगदीश व अन्य वादपत्र बाबत उदघोषणा, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रार्थी मोती दत्तक पुत्र कालू जाति मीना निवसी ग्राम रूपपुरा तहसील लालसोट द्वारा प्रार्थना प्रत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 9 व 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया की वादीगण श्रीनारायण व भौरीलाल द्वारा वादग्रस्त अराजी के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया है कि मोतीलाल को कभी स्व0 कालू पुत्र गणेश व उसकी पत्नी तीजू ने कभी दत्तक ग्रहण नहीं किया तथा अनुतोष में भी मोतीलाल को दत्तक पुत्र नहीं होने की भी उद्घोषणा चाही गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विधि अनुसार दत्तक व उत्तराधिकार के प्रश्न को तय करने हेतु राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। वादीगण द्वारा शिर्षक प्रकरण में मुख्य अनुतोष के रूप में मोतीलाल के दत्तक व उत्तराधिकार सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है तथा दत्तक या उत्तराधिकार के प्रश्न का अवचारण करने हेतु राजस्व न्यायालय को

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं है अतएव वादीगण का वादपत्र प्रथमतः ही इसी स्तर पर काबिले खारिज योग्य है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलवाई गई तथा पत्रावली वास्ते जवाब व बहस हेतु नियत की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए व चरण संख्या दो में अंकित तथ्य एवं कथन सही करार दिये है साथ ही कथन किये है कि प्रतिवादीगण ने वादपत्र के चरण चार में अंकित तथ्य श्रीमति तीजू की मृत्यु के बाद विरासत का नमान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.08.1991 को अपने नाम करवाकर ग्राम पंचायत होदयाली से अपने नाम तस्दीक करवा लिया। नामान्तरकरण अंकन अनाधिकृत है, के आधार पर दत्तक पुत्र नहीं है उद्घोषणा नहीं चाही है। उक्त नामान्तरकरण आदेश को अवैध करार देने की उद्घोषणा चाही है। ग्राम पंचायत को गोदपुत्र होने नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार नही है। राजस्व अभिलेख में गलत अंकन होने के क्षेत्राधिकार विहिनता के आधार पर अनुतोष चाहा है। वादीगण का वाद भूमि विभाजन, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद है जिसे सुनने का श्रवणधिकार न्यायालय मान्य को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय गोद के प्रश्न पर विचार करने को सक्षम है अन्यथा न्यायालय यदि गोद का प्रश्न माने तो प्रकरण अन्तर्गत धारा 239 रा0का0 अधि. सिविल न्यायालय में प्रेषित कर एतदर्थ निर्णय करवाने को सक्षम है। मुख्य अनुतोष उद्घोषणा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादी प्रार्थी यदि अपने को दत्तक पुत्र मानता है तो उसे साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वादपत्र को सिविल न्यायालय के क्षेत्र का नहीं बल्कि इसी न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य बताकर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिनकी नकल दिलवाई जाकर शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किये है कि प्रतिपक्षी मोती द्वारा दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश की गई कि वादीपक्ष श्रीनारायण व भौंरीलाल ने विवादित आराजी भूमि ग्राम रूपपुरा तहसील लालसोट बाबत वादपत्र पेश किया है जिसमें मोतीलाल को स्व0 कालू पुत्र गणेश व उसकी पत्नी तीजू ने कभी दत्तक ग्रहण नहीं किया तथा वादपत्र के अनुतोष में भी मोतीलाल को दत्तक पुत्र नहीं होने की उद्घोषणा चाही गई है तथा विधि अनुसार दत्ताक व उत्तराधिका के प्रश्न को तय करने हेतु राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। वादीपक्ष द्वारा मुख्य अनुतोष भी दत्तक एवं उत्तराधिकार सम्बन्धित ही चाहा है एवं यह भी उज्र लिया गया कि वादपत्र वास्तविक वाद कारण उत्पन्न होने के अभाव में काबिले खारिज योग्य है तथा वादपत्र प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने का अनुतोष चाहा गया तथा वादी पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें कथन किया कि उपचरण अ में नामान्तरकरण आदेश को अवैध करार देने की उद्घोषणा चाही है। ग्राम पंचायत को गोदपुत्र होने का नामान्तरकरण तस्दीक करने का

04.11.2022
सहायक कलक्टर
लालसोट दिग्गा-दौसा (राज0)

क्षेत्राधिकार नही है तथा यह भी स्वीकार किया गया कि राजस्व न्यायालय को गोद के प्रश्न पर विचार करने को सक्षम है अन्यथा न्यायालय यदि गोद का प्रश्न माने तो प्रकरण धारा 239 रा0 का0 अधिनियम न्यायालय इस प्रश्न को सिविल कोर्ट में प्रेषित कर एतदर्थ निर्णय करवाने को सक्षम है तथा वाद कारण के संबंध में कथन किया कि वादपत्र के चरण संख्या सात में वाद कारण वर्जित है एवं प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सव्यय निरस्त करने का कथन किया गया।

यह है कि सर्वप्रथम तो मान्य न्यायालय को वादी पक्ष के वादपत्र को देखना है इस संबंध में वादी के वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो वादीपक्ष द्वारा वादपत्र के मद संख्या 4 में भी श्योनारायण ने अपने पुत्र मोती प्रतिवादी संख्या 6 को स्व0 कालू का दत्तक पुत्र बताकर श्रीमति तीजू की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। इसी प्रकार उपचरण संख्या 1 में भी प्रतिवादी मोतीलाल को कभी दत्तक ग्रहण नही करने का कथन किया उपचरण ब में भी दत्तक बाबत कथन किया तथा अपने मुख्य अनुतोष में भी चरण संख्या क में जो दादरसी वांछित की है उसमें अंकित किया है कि क्योंकि " मोती को स्व0 कालू या उसकी पत्नी तीजों ने मोतीलाल को कभी दत्तक नहीं लिया। इस प्रकार वादी पक्ष का सम्पूर्ण वादपत्र एवं अनुतोष प्रतिपक्षी मोती के दत्तक नहीं होने के कथन पर आधारित है तथा वादी पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि राजस्व न्यायालय दत्तक संबंधी वाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा अपने चातुर्यपूर्ण अभिवचनों से येन केन प्रकारेण शीर्षक वाद दत्तक संबंधी अभिवचनों को तय करवाने हेतु है इस संबंध में धारा 9 सीपीसी पर गौर किया जावे तो यह धारा न्यायालयो की अधिकारिता के संबंध में है जिसके लिये प्रारंभिक स्तर पर ही तय करना आवश्यक है यह प्रश्न केवल विधि का प्रश्न है जिस पर साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है तथा वादी पक्ष के वादपत्र में वर्णित अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादीपक्ष के वादपत्र का सम्पूर्ण आधार दत्तक एवं उत्तराधिकार है जिसके बिना वादीपक्ष के हकों व अधिकारों का भी निर्धारण नहीं हो सकता है इस संबंध में 2007(1) RRT Page 723 Kura Vs Ramkishan and ors में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने व्याख्या की है कि Suit For declaration and permanent injunction Question of heirship Only civil Court is competent to decide question of heirship इसी प्रकार से 2021(1) Civil Court cases page 407 Rajasthan High Court द्वारा धारा 9 सीपीसी की व्याख्या कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि Jurisdiction of civil court Adoption Declaration as to valid adoption on appreciation of Evidence can be made by civil court and not by Revenue Court. थ्जसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा पारित सिद्धान्त जो कि 209(4) Civi Court Cases Page 704 के आधार पर पारित किया गया है जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है इसी प्रकार से 2016(2) CJ Civ. Raj.Page 1226 Chhotu and ors Vs Board of Revenue and Ors में Hon'ble Rajasthan High Court द्वारा सटीक व्याख्या की गई कि issue of adoption whether can be determined by Revenue Court held no Vall dity of adoption will also not fall in the Jurisdiction of Revenue Court. इसी

04.11.2022

प्रकार से माननीय राजस्व मण्डल भी RBJ 2002 Page 488 मोहनी बनाम श्रीमति मनकोरी में खण्डपीठ द्वारा सटीक व्याख्या की गई है कि When suit is mainly for declaration of adoption and possession of land suit is triable by civil court. इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 के संबंध में भी 2017(1) DNJ Raj Page 508 में Hon'ble Rajasthan High Court द्वारा Mahaveer Saddna Sansthan Vs Smt Shashi Mathur and Anr. में यह व्याख्या की गई कि प्रकरण में सम्पूर्ण वाद निर्णय दिनांक 22.05.2015 पर आधारित है एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया गया हस्तगत प्रकरण भी दत्तक व उत्तराधिकार के संबंध में है जो मृतक तीजू देवी के नामान्तरकरण से संबंधित है जो कि दिनांक 30.08.1991 का है जिसके बारे में 26 वर्षो तक मौन रहना वादी पक्ष की स्वीकृति का द्योतक है तथा 26 वर्षो पश्चात् इसके बाबत अचानक वाद कारण उत्पन्न होना वास्तविक वाद कारण नहीं हो सकता है इसलिए उक्त समस्त तथ्यों व न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रतिपक्षी की प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है । वैसे भी शीर्षक वादपत्र तुच्छ एवं परेशान करने वाला है जिसे कानूनन प्रारंभिक स्तर पर ही दबा देना चाहिय तथा अब वादी पक्ष का धारा 229 आर.टी. एक्ट बाबत कथन करना है तो जब वादी पक्ष का समस्त वादपत्र दत्तक एवं उत्तराधिकार पर ही आधारित है तो उसे धारा 239 आर.टी. एक्ट के तहत सिविल न्यायालय में भेजना अविधिक कथन हो जाता है इसी प्रकार सारतत्व के सिद्धान्त अनुसार वादीगण के वादपत्र का स्पष्ट दत्तक के संबंध में है जो राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Anannt Pal Singh Rajput Vs Sumer singh Rajput and ors DNJ 2017 (1) Page 1 पर विधि की व्याख्या इस प्रकार की है कि Even if the Plaint is not strictly covered V/O 7 Rule 11 the Same can be rejected Vs 151 CPC. Friuolous and vesatious suit ought to be nipped in the bud at the earlist. यहा यह भी आपत्ति का प्रश्न है कि 1991 से लेकर 2017 तक वादी पक्ष मौन क्यों रहे यदि उनका कोई हक व अधिकार निहित व समाहित लेश मात्र भी रहा था तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नही की गई इस बाबत भी Rajasthan High Court द्वारा Mangi lal th.LR.s and ors. Vs Board of Revenue Raj. Ajmer and ors CJ (Civ.)2016(2) page 741 में स्पष्ट व्याख्या की गई कि Suit for declaration partion Possession and permanent injunction was filed after 42 years of mutation entry. Plaintiffs were aware of the mutation entries but did not take any step to have their purposted rights declared by way to substantive proceeding for voer 40 years case of suppression of facts Defendants have sold the Suit lands wide varlous sale deeds and right of third party has been Created peior to filing the Suit Held. Suit was rightly dismissed . उक्त समस्त तथ्यों व सटीक न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में वादीपक्ष का वादपत्र प्रारंभिक स्तर पर ही सव्यय निरस्तनीय है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की ओर से लिखित बहस मय सटीक न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

04-11-2022

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

प्रार्थी अधिवक्ता की लिखित बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किये है कि वाद पत्र के चरण संख्या एक में पक्षकार की वंशावली अंकित की गई है। लिखित बहस के चरण संख्या एक में अंकित तथ्य एवं कथन वाद पत्र में अंकित तथ्यो को सही परिप्रेक्ष्य में समझे बिना गलत अंकित किया है। वादपत्र के चरण संख्या 4 उपचरण अ लगा0 द मे वादीगण ने मोती पुत्र श्योनारायण का नाम जरिए नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.08.1991 द्वारा मोती दत्तक पुत्र कालू का अंकन अवैध, अनियमित एव अनाधिकृत होना उपचरण अ में अंकित किया है। उपचरण ब में वादीगण ने नामान्तरकरण प्रतिवादी मोती को दत्तक पुत्र बताकर भरने की कार्यवाही को क्षेत्राधिकार विहिन होना अंकित किया है। नामान्तरकरण कार्यवाही में ग्राम पंचायत या तहसीलदार को पंजीकृत गोद पत्र के आधार पर नामान्तरकरण का अधिकार है किन्तु बिना पंजीकृत अभिलेख किसी को दत्तक पुत्र बताकर नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण द्वारा ऐसा अंकन अवैध एवं अप्रभावी है। वादीगण ने नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी में मोती दत्तक पुत्र कालू के अंकन को प्रारम्भतः विधि विरूद्ध एवम प्रभाव शुन्य होने का तथ्य प्रस्तुत किया है। उपचरण ब में वादी संख्या एक व दो के पिता के अनपढ, अशिक्षित होने के कारण उक्त अशुद्ध अंकन को तत्समय चुनौती नहीं देने का तथ्य अंकित किया है। वादपत्र के चरण संख्या 6 में नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.08.1991को अवैध एवम प्रभावशुन्य होना अंकित किया है तथा अनुतोष चरण क में मोतीलाल के दत्तक पुत्र कालू के रूप में अंकन को गलत एवम क्षेत्राधिकार विहिन होना अंकित किया है। इस प्रकार शीर्षक वाद में दत्तक पुत्र होने या नहीं होने का तथ्य विचारणीय नहीं है, बल्कि मोतीलाल दत्तक पुत्र कालू जरिए नामान्तरकरण अंकित होने का प्रश्न विचारणीय है। वादीगण ने दत्तक ग्रहण नही होने की उदघोषणा नहीं चाही है बल्कि अंकन गलत होने की उद्घोषणा चाही है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अनुरूप उद्घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय मान्य गोदपुत्र के रूप में अंकन को हटाने को सक्षम है एवम अन्तर्गत धारा 239 राज काश्तकारी अधिनियम सिविल न्यायालय को आवश्यकतावश रैफर करने को भी अधिकृत है। वादकारण के संबंध में वाद पत्र के चरण संख्या सात को बिना पढे असंगत तथ्य अंकित किये गये है।

यह है कि लिखित बहस के चरण संख्या दो में अंकित यह तथ्य सही है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निस्तारणार्थ वाद पत्र व वाद पत्र के संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य को देखना होता है। प्रतिवादीगण के वादोत्तर या उनकी ओर से प्रस्तुत किसी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता । वाद पत्र के चरण संख्या 4 को बिना समझे गलत परिभाषित किया है स्व0 कालू ने प्रतिवादी संख्या एक को कभी दत्तक ग्रहण नही किया उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी स्व0 मु0 तीजू के नाम इसके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 12.01.1984 को उत्तराधिकारी के रूप में प्रमाणित हुआ। मु0 तीजू के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी अंकित हुई। स्व0 तीजू की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30.08.1991 को प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर स्व0 कालू का दत्तक पुत्र बताकर भरवा लिया जिसे तत्कालिन प्रशासक ग्राम पंचायत से

04-11-2012
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

तस्दीक करवा लिया। पटवारी हल्का ने जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम मोतीलाल पुत्र श्रीनारायण दत्तक पुत्र कालू अंकित करवा लिया। उक्त अंकन अनाधिकृत अवैध अनियमित होने के कारण प्रभावशून्य है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति को किसी खातेदार का दत्तक पुत्र घोषित करने या ऐसा नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 6 को दत्तक पुत्र होने या नहीं होने की उद्घोषणा नहीं चाही है। आराजी वादग्रस्त में प्रतिवादीगण का नाम दत्तक पुत्र के रूप में अंकित होने को निरस्त करवाने की उद्घोषणा चाही है। प्रतिवादी यदि स्व0 कालू का दत्तक पुत्र है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र होने की उद्घोषणा करवानी होगी इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्रोत्तर के चरण संख्या एक में विस्तृत निवेदन किया जा चुका है। इस चरण में अंकित यह तथ्य अस्वीकार किया है कि वादपत्र का सम्पूर्ण आधार दत्तक एवम उत्तराधिकार है। वादीगण का वाद दत्तक पुत्र के अवैध अंकन को विलोपित करवाने, भूमि विभाजन एवम स्थाई निषेधाज्ञा का रहै। प्रतिवादी की ओर से इस चरण में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णयों को उद्धृत कर अंकन किया गया है जिसका सार यह है कि दत्तक ग्रहण विषय राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के लिए तथ्यों का धरातल होना आवश्यक है। प्रविादी का तर्क विरोधाभासी होने के कारण स्वीकार नहीं है। न्यायालय को गोद पुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है तो क्या पटवारी को बिना किसी पंजीकृत गोद पत्र के किसी को गोद पुत्र बताकर नामान्तरकरण को तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त है। क्षेत्राधिकार विहिन आदेश को चुनौती देने में समय सीमा बाधित नहीं है। वादीगण हिस्सा 2/3 की भूमि पर एवम प्रतिवादीगण संख्या एक ला0 छ हिस्सा 1/3 की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते है। नामान्तरकरण कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है। उसमें हक अधिकारो का विनिश्चय नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत को बिना पंजीकृत अभिलेख गोद के अधिकार पर भर गये नामान्तरकरण को तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अतः क्षेत्राधिकार विहिन नामान्तरकरण आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन अवैध एवम प्रभावशुन्य है एतदर्थ उद्घोषणा का अधिकार न्यायालय मान्य को प्राप्त है। वादीगण ने अन्तर्गत धारा 239 राज0 काश्त0 अधिनियम का तथ्य वाद पत्र में अंकित नहीं किया। यह न्यायालय का अधिकार है कि वाद की सुनवाई के मध्य यदि ऐसी कोई साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत हो अन्यथा कोई पक्ष अपने को गोद पुत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अधिकार का दावा करें तो गोदपुत्र उद्घोषणा विवादग्रस्त बताकर सिविल न्यायालय को विवादग्रस्त के निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हो तो अन्तर्गत धारा 242 राज काश्त0 अधिनियम सिविल न्यायालय संबंधित विवाध्क के निर्णय हेतु राजस्व न्यायालय को पत्रावली प्रेषित कर सकती है। यहां प्रश्न दत्तक की उद्घोषणा का नहीं है दत्तक के रूप में अनाधिकृत व क्षेत्राधिकार विहीन अंकन का है। प्रकरण के तथ्यों को बिना समझे अनावश्यक रूप में प्रस्तत आवेदन के उत्तर में भी वादीगण की ओर से इन त्यों को अंकित कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है। अपनी लिखित बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2016(3)raj page 1208, AIR2007 Raj NOC 316, RBJ 2003 page 295 , RBJ 2003 Page 467 पेश किये है।

04.11.2022

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया जाकर गौर फरमाया साथ ही विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा अपनी-अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अधोपान्त अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी मोती लाल जाति मीना निवासी रूपपुरा तहसील लालसोट द्वारा वादपत्र उनवानी प्रकरण श्रीनारायण बनाम जगदीश व अन्य में एक आपत्ति अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर आपत्ति जताई है कि वाद वादीगण में मुख्य अनुतोष दत्तक व उत्तराधिकार के प्रश्न के निर्धारण के संबंध में है जिसकी राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता नहीं है। वही अप्रार्थीगण के कथन है कि वाद पत्र में वादीगण का प्रश्न दत्तक की उद्घोषणा का नहीं बल्कि दत्तक के रूप में अनाधिकृत व क्षेत्राधिकार विहीन नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 30.08.1991 के अंकन का है। जिसमें स्व0 कालू का दत्तक पुत्र बताकर मोतीलाल के नाम से नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। उक्त बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 56 का अवलोकन करे तो नामान्तरकण में अंकित सजरा में अंकित है कि मोती गोद कालू के चला गया। तथा शपथ-पत्र मोती व सह-खातेदार नारायण, रामपाल, व श्रीनारायण के आधार पर नामान्तरकरण विरासत भर कर प्रस्तुत किया गया जो मोती दत्तक पुत्र कोलू हिस्सा 1/4 सोनारायण, रामपाल, श्रीनारायण पुत्र गणेश हिस्सा 3/4 कौम मीना सा.देह के नाम दिनांक 30.08.1991 को स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण कार्यवाही से लगभग 26 वर्ष उपरान्त प्रतिपक्ष द्वारा वाद हक अधिकारों हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिपक्ष को इस बात की पूर्व से जानकारी थी कि स्व0 कालू का दत्तक पुत्र मोती के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है, यह तथ्य कही न कही प्रतिपक्ष की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। प्रतिपक्ष द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किया है जो प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही के विरूद्ध प्रतिपक्ष द्वारा की गई किसी कार्यवाही को दर्शाता हो। प्रार्थी मोतीलाल मीना के पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् में भी मोतीलाल पुत्र कालू राम मीना ही है। जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 से जाहिर है कि श्योनारायण मीना की विरासत का नामान्तरकरण भूरी लाल छोटेलाल रामकरण पिता श्योनारायण व चन्द्री बेवा श्योनारायण के नाम दर्ज हुआ है जिसमें मोतीलाल का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्योनारायण की विरासत में मोतीलाल को शामिल नहीं किया गया। मृतक का विधिक प्रतिनिधि तय करने का हक अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तत् समय में ग्राम पंचायत द्वारा गोद पुत्र के आधार पर जो विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उसके विरूद्ध भी प्रतिपक्ष द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रस्तुत वाद में भी वादीगण द्वारा उद्घोषणा का वाद दायर किया है जिसमें बिना दत्तक पुत्र के प्रश्न का निर्धारण किये कोई भी कार्यवाही किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2007(1) RRT Page 723 Kura Vs Ramkishan and ors में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने व्याख्या की है कि Suit For declaration and permanent injunction Question of heirship Only civil Court is competent to decide question of heirship इसी प्रकार से 2021(1) Civil Court cases page 407 Rajasthan High Court द्वारा धारा 9 सीपीसी की व्याख्या कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित

04.11.2024
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

किया गया कि Jurisdiction of civil court Adoption Declaration as to valid adoption on appreciation of Evidence can be made by civil court and not by Revenue Court. जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच द्वारा पारित सिद्धान्त जो कि 209(4) Civi Court Cases Page 704 के आधार पर पारित किया गया है जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है इसी प्रकार से 2016(2) CJ Civ. Raj.Page 1226 Chhotu and ors Vs Board of Revenue and Ors में Hon'ble Rajasthan High Court द्वारा व्याख्या की गई कि issue of adoption whether can be determined by Revenue Court held no Vali dity of adoption will also not fall in the Jurisdiction of Revenue Court. इसी प्रकार से माननीय राजस्व मण्डल भी RBJ 2002 Page 488 मोहनी बनाम श्रीमति मनकोरी में खण्डपीठ द्वारा सटीक व्याख्या की गई है कि When suit is mainly for declaration of adoption and possession of land suit is triable by civil court. इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 के संबंध में भी 2017(1) DNJ Raj Page 508 में Hon'ble Rajasthan High Court द्वारा Mahaveer Saddna Sansthan Vs Smt Shashi Mathur and Anr. में यह व्याख्या की गई कि प्रकरण में सम्पूर्ण वाद निर्णय दिनांक 22.05.2015 पर आधारित है एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया गया हस्तगत प्रकरण भी दत्तक व उत्तराधिकार के संबंध में है जो मृतक तीजू देवी के नामान्तरकरण से संबंधित है जो कि दिनांक 30.08.1991 का है जिसके बारे में 26 वर्षो तक मौन रहना वादी पक्ष की स्वीकृति का घोतक है तथा 26 वर्षो पश्चात् इसके बाबत अचानक वाद कारण उत्पन्न होना वास्तविक वाद कारण नहीं हो सकता है इसलिए उक्त समस्त तथ्यों व न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रतिपक्षी की प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है । इस प्रकार सारतत्व के सिद्धान्त अनुसार वादीगण के वादपत्र का संबंध स्पष्ट दत्तक के संबंध में है जो राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Anannt Pal Singh Rajput Vs Sumer singh Rajput and ors DNJ 2017 (1) Page 1 पर विधि की व्याख्या इस प्रकार की है कि Even if the Plaint is not strictly covered V/O 7 Rule 11 the Same can be rejected Vs 151 CPC. Friuolous and vesatious suit ought to be nipped in the bud at the earlist. यहा यह भी आपत्ति का प्रश्न है कि 1991 से लेकर 2017 तक वादी पक्ष मौन क्यों रहे यदि उनका कोई हक व अधिकार निहित व समाहित लेश मात्र भी रहा था तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नही की गई इस बाबत भी Rajasthan High Court द्वारा Mangi lal th.LR.s and ors. Vs Board of Revenue Raj. Ajmer and ors CJ (Civ.)2016(2) page 741 में स्पष्ट व्याख्या की गई कि Suit for declaration partion Possession and permanent injunction was filed after 42 years of mutation entry. Plaintiffs were aware of the mutation entries but did not take any step to have their purposted rights declared by way to substantive proceeding for voer 40 years case of suppression of facts Defendants have sold the Suit lands

04.11.2022
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा

wide varlous sale deeds and right of third party has been Created peior to filing the Suit Held. Suit was rightly dismissed . इस प्रकार सारतत्व के सिद्धान्त अनुसार वादीगण के वादपत्र का संबंध स्पष्ट दत्तक के संबंध में है जो राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। वकील प्रार्थी के कथनों से हम पूर्णतः सन्तुष्ठ है एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। वकील अप्रार्थी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में सक्षम नही पाये गये तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस बाबत प्रकरण पर कोई मदद नहीं करते है।

अतः उक्त विवेचनों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं का सारवान् रूप से विधि के सम्यक पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर
लालसोट

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)